And, as I informed the hon. Members earlier, the USA Federal Government itself has taken a stand that it completely disapproves of the kind of steps that some of the Governments in their States have been taking up. We have also informed them that if they disapprove it, they have to go to full length in order to make sure, within their own federal structure, that these things do not happen because we have had issues, as an illustration. I have also said, when India makes an International Commitments, it is the Government of India that makes. But, every State Government, even if it is in disagreement with something that the Government of India has done, have to comply with it because it is a national commitment and that is what their regional Governments must also really consider.

Pesticide contents in Food

*284. SHRI PREM CHAND GUPTA†

SHRI P. PRABHAKAR REDDY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the danger of consuming pesticides and chemicals with food is high in the country, largely due to inept administrative control and lack of will of the authorities to implement the laws on food safety;

(b) whether the recent controversy of pesticide residues in soft drinks, insect infestations in chocolates are just some examples of the danger that exists; and

(c) if so, the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Prem Chand Gupta.

Statement

The use of pesticides is regulated under the Insecticide Act, 1968, which is implemented by the Ministry of Agriculture. Under the Insecticide Act, the Registration Committee (RC) registers pesticides for use upon specified food crops only after satisfying itself regarding their efficacy, residues and safety to human beings, animals and the matters connected therewith.

If the approved/registered pesticides are used on food crops as per the recommended doses and as per direction given on the lable and leaflets, these are not likely to pose health hazards to human beings and animals.

For safety to human health, maximum residue limits (MRLs) have been prescribed for different pesticides for various foods by the Ministry of Health under Rule 65 of the PFA Rules, 1955. Keeping in view in residues of pesticides in different components including food items, the Government of Indis ia advocating Integrated Pest Management (IPM) which *inter alia* includes the need based and judicious use of pesticides, use of bio-pesticides, banning/phasing out the most persistent organochlorine group of pesticides, educating farmers on judicious use of pesticides and observance of waiting period and encouraging the organic farming.

The standard for chocolate has been prescribed under PFA Rules. Subsequent to recent media reports regarding insect infestation from Maharashtra, instructions have been issued to all regional officers for random inspection and sampling to prevent such occurrence. A draft notification has been issued for prescribing maximum pesticide residues in soft drinks for which public comments have been invited. Meanwhile, a Joint Parliamentary Committee (JPC) to look into the issues of pesticides in soft drinks etc. has been constituted to suggest criteria for evolving suitable safety standard for soft drinks, fruit juice other beverages where what is the main constituent.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Madam, there is a danger to the health of our citizens from pesticides and chemicals. Even after 55 years of our Independence, we have not been able to codify our own rules, regulations and laws regarding control of food and use of pesticides in food articles The recent survey conducted by the All-India Co-ordinated Research Project on pesticide residues has found that 60 per cent of our food is contaminated. This can create a serious genetic and bio-chemical disorder. So, my supplementary to the hon. Minister is, why has MRL has been fixed for 71 pesticides only out of 183 pesticides. This ia part (a) of my supplementary.

Part (b) is: Since 1968, there has been no revision in the MRL content in the limit of any food products.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति जी , जहां तक पेस्टिसाइडस का सवाल है, एक इनसेक्टीसाइड एक्ट, 1968 हैं, जिसकी अभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर हैं, उसके नीचे पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड होते है । एक रजिस्ट्रेशन कमेटी हैं, जो इनको रजिस्टर्ड करती है। सांसद महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा, 183 नहीं लेकिन 181 पेस्टिसाइड्स उनके नीचे रजिस्टर्ड हैं और अभी तक 71 के एम.आर.एल. उसमें ऐप्रूव हुए थे । मैं आपके माध्यम से उनको और सदन को बताना चाहती हूं कि इन 71 के बाद 50 और के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गए थे, उनकी डेट खत्म हो गई हैं, वे 50 ऐप्रूव हो करके अभी नोटिफाई हो जाएंगे । उनमे 27 ऐसे हैं जो रेडेंटिसाइडस कहलाते हैं, जिनके लिए एम.आर.एल. की जरूरत नहीं है और बाकी जो 33 बचते हैं ?, 181 में से, वे अडर कंसिडरेशन है, उनके ऊपर अभी एम.आर.एल. किया जा रहा हैं । एक जो सबसे बड़ी कमी थी, जिसकी ओर इन्होंने इगित किया, एम.आर.एल. के बिना ही पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हो जाता था। आगे यह भूल न हो इसलिए हमने यह तय कर दिया है , इन 181 का तो जैसे मैंने ब्रेक – अप बताया, हम कर ही रहे हैं, आगे के लिए हमने तय कर दिया है कि तब तक एम.आर.एल. ऐप्रूव न हो जाए तब तक नया पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड न किया जा सके ।

जो आपने 1968 के बाद रिव्यू की बात की, तो ये जो 71 ऐप्रूव्ड थे, इनको भी कोडेक्स रूल्स के साथ हारमोनाइज करने के लिए हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं ।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Madam, I just wanted to draw the attention of the hon. Minister towards the fact that there are different regulatory authorities *viz.,* the Prevention of Food Adulteration

Authority, the Food Produce Order, the Milk and Milk Produce Order, the Vegetable Oil Control Order, the BIS and the Directorate of Marketing Inspection, but there is no coordination among them. Certain rules are governed by the Ministry of Agriculture, certain rules are governed by the Ministry of Chemicals, and certain rules are governed by the Ministry of Health. There is no coordination among these authorities. As a result, the guilty people go scot-free. Would the hon. Minister kindly tell as to how many persons, how many manufactures, how many organizations have been prosecuted after independence, or during the last five, ten years, for committing such violations. Not even one! Not even one!

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापित जी, बहुत से आर्डर सांसद महोदय ने गिना दिए लेकिन मैं उनको बताना चाहूगी कि जहां तक फूड ऐडल्ट्रेशन का सवाल है, वह प्रिवेंशन आफ फूड ऐडल्ट्रेशन के नीचे ही आता है और उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री आफ हेल्थ हैं। एक इंटिग्रेटिड फूड लॉ की भी बात आजकल चल रही है, लेकिन इंटिग्रेटिड फूड लॉ में भी यह सवाल है कि उसे फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री देखे या हेल्थ मिनिस्ट्री देखे। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री चूंकि फूड इडस्ट्री को प्रमोद करने वाली इडस्ट्री हैं, कभी भी प्रमोटिंग इडस्ट्री रेगुलेटिंग मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। रेगुलेट्री मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री हैं। तो ये जो आर्डर्स हैं, ये उनको अलग-अलग बताते हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हैल्थ मिनिस्ट्री ही हैं।

जहां तक आपका यह सवाल है कि कितने लोग अभी तक प्रोसिक्यूट हुए हैं, यह बिलकुल एक प्रश्न है। अगर सांसद महोदय चाहते हैं तो मैं इसका अलग से डाटा उन तक भिजवा दूंगी या फिर वे चाहेंगे तो सदन में रख दूंगी।

उपसभापति : श्री पी. प्रभाकर रेड्डी , ऐबसैंट। श्री सुरेश पचौरी।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभापति महोदया, मंत्री जी ने जैसा बताया है कि जो टॉलरेंस लैवल हैं पेस्टिसाइड्स का यानी मैंक्सिमम् रेसिडयू लिमिट हैं, एम.आर.एल., यह डायरेक्टर जनरल आफ हेल्थ सर्विसेज के अतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ही इसको तय किया जाता है और पी.एफ.एल. लॉ के अतर्गत यह तय होता है। मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से अधिकाशं लैबोरेट्रीज, जो इससे सबंधित है , वे वैल इक्विप्ड नहीं है, जिसकी वजह से यह हो रहा है कि जो एम.आर.एल. तय होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है, जबकि अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने कि स्टेडर्ड प्रोसैस्ड फूड के लिए

तय किए हुए हैं । इससे एक विसंगति निर्मित हो रही हैं । महोदया, यूरोपियन कंट्रीज में इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो इंफेट और चिल्ड्रन का फूड हैं, उसमें हम कैसे उनको हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें । स्थिति यह हो रही है कि जो बैबी फूड हैं, उसमें भी जो रेसिडयू लैवल हैं जितना कि निर्धारित किया गया है, जितनी अनुशंसा की गई है । उससे, वह अधिक होता है और इसका कारण यह है कि हमारी लैबोरेट्रीज वैल इक्विप्ड नहीं है और वैल इक्विप्ड लैबोरेट्रीज नहीं होने से एक तो जो नियंत्रण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, दूसरे हैल्थ प्रभावित हो रही है और तीसरे जो पी.एफ.एल. लॉ है, जिसमें कि अब संशोधन करने की आवश्यकता हो गई हैं, क्या आप उसे संशोधित करने पर विचार कर रही हैं? और चौथा यह है कि एक भी व्यक्ति को अभी तक इसके अंतर्गत ....(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आपने सबके सवाल पूछ लिए, वे लोग आपसे नाराज हो जाएगें ।

श्री सुरेश पचौरी : यह मेरे क्वेश्चन का "ए" , "बी", "सी", "डी" पार्ट हैं । मेरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यह है कि जो इस कानून का उल्लघंन करे, जो इस विसंगति के घेरे में आंए, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए । जैसे नकली दवाओं के संबंध में आपने साहसिक निर्णय लिया है, क्या इस केस में भी आप कोई ऐसा निर्णय लेने जा रही हैं, यह मैं आपके जरिए माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं भी आपके जरिए उनको बताना चाहती हूं । उन्होंने कई सवाल पूछे हैं , मैं एक-एक करके उनके सवालों को लेती हूं । पहली बात उन्होंने यह कही कि हमारे यहां लेबोरेट्रीज Well equipped नहीं है । यह सच बात है कि हमारे यहां well equipped लेबोरेटीज का बहुत अच्छा नैटवर्क अभी नहीं है लेकिन मैं आपके जरिए सदन को यह भी बताना चाहती हूं कि हमने एक capacity building project लिया है जिसमें हम स्टेट्स की फूड लेबोरेट्रीज को strengthen करने जा रहे हैं, और जहां नयी लेबोरेट्रीज की जरूरत है, उनको भी खोलने जा रहे हैं । यह तो लेबोरेट्रीज के बारे में हैं । दूसरा आपने कहा कि लेबोरेट्रीज की वजह से MRL नियुक्त नहीं हो पा रही है । मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि ये दोनों चीजें अलग-अलग है । MRL निर्धारित करने के लिए लेबोरेट्रीज की जरूरत नहीं है । MRL वाकई उस प्रोडक्ट में उससे ज्यादा है या नहीं, इसको देखने के लिए लेबोरेट्री की जरूरत है । तो जहां तक MRL निर्धारित करने का सवाल है MRL निर्धारित करने के लिए एक अलग तरीका है और उसमें हम लोग तीन चीजें मुख्य रूप से देखते हैं । सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि उस pesticide का approximate daily intake क्या है ? फिर हम देखते हैं total food consumption. उसके

बाद हम देखते हैं permissible limit of that pesticide. इन तीनों चीजों को देखकर एक CCFS कमेटी बनी हुई है, जो MRL को निर्धारित करती है । तो MRL के निर्धारित करने का लेबोरेट्री से कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन वह MRL कहीं violate तो नहीं हो रहे हैं , उनका इंप्लीमेंटेशन पूरा हो रहा हैं, इसको देखने के लिए लेबोरेट्रीज की नैटवर्किंग चाहिए जिसके लिए मैंने कहा कि एक बड़ा capacity building project हम लोगों ने लिया है जहां तक MRL के सशोधन का सवाल है, हम वह संशोधन करने जा रहे हैं और हमारे पास उसके बहुत से जो प्रावधान है उनमें सशोधनों का प्रारूप भी तैयार है । जहां तक सवाल है सख्त सजा का, धीरे-धीरे यह जो बड़ा साहसिक कदम हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में लिया है, उसके ऊपर ससंद की किस तरह से सहमति मिलती है, देश की किस तरह से सहमति हमको मिलती है, यह देखना है । मुझे लगता है कि कोई भी जो मिलावट वाली चीज है, जो स्वास्थ्य को खराब करनी है, वह बदं होनी चाहिए । खास तौर पर हमने उसमें दवाइयों के सिलसिलें में पहल की है, लेकिन फूड भी इससे कम महत्वपूर्ण चीज नहीं है । अब देखते हैं कि दवाइयों के मामले में क्या अनुभव रहता है । अगर यह अनुभव ठीक रहा और आप सबकी सहमति मिली तो हम दूसरी तरफ भी जरूर आगे कदम बढ़ा सकते हैं ।

उपसभापति : आप दोनों ने मेरे जरिए पूछा मगर मेरे यहां कोई residue नहीं रहा । conveninently transferred it and brought back the answer.

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, आप भी साइटिस्ट है, इसलिए यह विषय आपसे ज्यादा सम्बद्ध हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Dipankar Mukherjee. Now, is there any residue left in the question?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I think, I will not come to the residue part. There are laws for everything. In spite of that, we know, implementation is a problem. I think, stress should be laid on prevention rather than on cure. Laws would always be there to prevent the overuse of pesticides. That is not the point. I would like to invite your attention to the first and second paragraphs. We have seen from experience that at the grass root level, there had been and overuse of fertilizers and pesticides by farmers. A lot of exercises have been done, especially, on the technical part of it, that is, on soil erosion caused due to overuse of fertilizers and pesticides'. It has been said in the second paragraph, "If the registered pesticides are use on food crops as per the recommended doses and as per the direction.". Now it is too much to expact from our

grass root farmers- who are using them - to use them as per those recommendations. Actually, what is happening is that there is overuse of those pesticides. There should be some NGOs to advise them. Earlier, certain Government agencies were there to advise them against overuse of fertilizers. Our forefathers had thought about it. In 60's itself when Sindhri Fertilizer was opened another agency called the Fertilizer Promotion and Agriculture Research Division, specifically, meant for advising the farmers against overuse of fertilizers was set up. I think, certain agency would be required to see that the grass root farmers know how to optimally utilize these pesticides. With the multinationals coming into the picture, they are being prompted to use more ferilizers and pesticides so that there are more sales.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I would like to know whether the Government is thinking of setting up some agency to advise the farmers at the grass root level, so that overuse of pesticides as well as chemical fertilizers is stopped or prevented, right at the grass root level itself?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, यह प्रश्न नहीं सुझाव है और इन्होंने जिस पैरा को पढ़कर बताया है उसमें देखा भी होगा कि यह कृषि मंत्रालय का काम है, क्योंकि वे सुझाव देते हैं । मैं अपने साथी कृषि मंत्री से जरूर कहूंगी कि वे इस सुझाव पर गौर करें।

SHRI B.P. SINGHAL: Madam, there are two aspects of it. The important thing is to detect the MRL. What are the agencies that detect it? Can't the QIC or the BIS - there is a network - or any such other agency be deputed with fix quotas for detecting the MRL in various products? Unless detecting machinery is there, it will not be effective; you might set any MRL.

The next point is this. There are bio-pesticides. The maximum poisoning is taking place because of malarial use of pesticides. The bio-pesticides are not being promoted. I do not see any reason as to why they are not being promoted. They are lesser in cost as compared to the alternatives' cost. So, this is my first question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singhal, this question is related to the residue of what will happen after using the pesticides. Your question

does not relate to her Ministry. It would be a suggestion which she cannot implement. *..(Interruptions)..*

SHRI B.P. SINGHAL: Madam, that is related to the Ministry of Health. If the Bio-pesticides are utilized, there is no question of leaving any residue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is a suggestion.

SHRI B. P. SINGHAL: Why is it being held up? That is what I want to know.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, उनका जो पहला प्रश्न था वह यह था कि डिटेक्टिग एजेंसी कौन सी है । तो डिटेक्ट लेबोरेट्री के माध्यम से होता है और मिनिस्ट्री आफ हैल्थ करवाता है। मैंने सुरेश जी के प्रश्न के जवाब में यह बात बताई थी ।

SHRI B.P. SINGHAL: Who collects the samples?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मिनिस्ट्री आफ हैल्थ । मिनिस्ट्री आफ हैल्थ के अपने इंस्पेक्टर हैं, ड्रग इंस्पैक्टर हैं और फूड इस्पेक्टर हैं । वे लोग सेम्पिल कलेक्ट करते हैं, हम लोग बाजार से सेम्पिल कलेक्ट करते हैं और उनको डिफ्रेट लेबोरेट्री में भेजते हैं । वे डिटेक्ट करते हैं ।

SHRI LALIT SURI: Madam, my question is this. A JPC has been constituted to suggest criteria for evolving suitable standards for soft drinks. Now, there are some particular soft drinks which are diet. Madam, the chemicals used in these soft drinks are very harmful. In Japan, they have asked to use a particular plant leaves which is known as Stevia which is grown in this country. I would like to know whether we can change from the chemicals which are being used to Stevia in this country also as is being in Japan.

श्री सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदय, जो बात उन्होंने कही है वह मुझ तक पहुंची है । स्टीविया एक प्लाट होता है । वह केमिकल के बजाए उतना ही मीठा देता है, जैसे बाकी जगह इक्वेली यूज करते हैं या शुगर फ्री यूज करते हैं, ये सब केमिकल से बनी हुई चीजें । जो स्टीविया हैं वह प्लाट से उतना ही मीठा देना है । यह बहुत बार चीज आई है यहां भी इस चीज के अभी शोध हो रहे हैं और जापान में जैसा कि यह कह रहे हैं वहां यूज भी हो रहा है । लेकिन जो जे.पी.सी. गठित हुई हैं जे.पी.सी. तो हम लोगों को यह बताने के लिए गठित हुई है कि कितना – कितना पेस्टोसाइड रेजीडयू होना चाहिए यानी क्या स्टेंडर्ड होने चाहिए । वह स्टीविया के बारे में करने के लिए नहीं स्टीविया के बारे में आई.सी.एम.आर. को हमने स्टडी के लिए दिया है, बात यह लोग कह रहे

है कि स्टीविया का इस्तेमाल हो सकता है केमिकल की जगह । वहां आई.सी.एम.आर. के शोध का हम लोग इंतजार कर रहे हैं । यह ठीक हैं जापान में वह चीज चल रही है लेकिन अपने देश में लाने के लिए हमें अपना शोध चाहिए होता है । आई0सी0एम0आर0 की स्टडी के बाद करेंगे । जेपीसी का इससे लेन-देना नहीं है, जेपीसी केवल स्टेंडर्ड तय कर रही है।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Madam, the Minister has told us that under the-Insecticides Act, which is under the Ministry of Agriculture, the pesticides are registered. She has not told us about the Central Insecticides Board under which their Registration Committee works. While there is a confusion as to who controls the insecticides as is in the case of who decides the MRL, my specific question to the Minister is this. The Registration Committee is chaired by a very high official of the Health Ministry, and the powers under the Insecticides Act give him powers to decide MRL before insecticides are registered. You have told us that out of 180 pesticides which are registered, only 70 have MRL. But, in most advanced' countries which use pesticides, no pesticide is registered unless MRL are fixed. Now you have said that you will do it in future. The Act was enacted in 1968. Is it not the failure of the Health Ministry which chairs the Registration Committee of Insecticides to allow insecticides being registered without MRL being fixed? As you know, the Insecticides Board has representatives of insecticides industry which would like the insecticides to be registered without MRL being fixed. So, my question is, would you amend the Act so that it becomes mandatory that no insecticides can be registered without MRL being fixed?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदय मैंने सासंद महोदय की चिंता का समाधान अपने सबसे पहले सवाल के जवाब में कर दिया था । यह एक्ट 1968 से है मगर 1968 से हम यहां नहीं हैं, हम यहां 1998 में आयें हैं । मैंने आपको कहा है कि जब हमको यह चीज पता चली कि एमआरएल एप्रूव होने के बिना पेस्टीसाइड रजिस्टर्ड हो जाता है । हर चीज को आदमी अनुभव से सीखता है और तब उसमें सुधार करता है जब हमें लगा कि यह गलत है यह घोड़े के आगे गाड़ी लगाने वाली बात है कि आप पेस्टीसाइड का एमआरएल तय नहीं करते है और पेस्टीसाइड को रजिस्टर्ड कर लेते हैं इसीलिए हमने तय किया कि कोई पेस्टीसाइड नया रजिस्टर्ड नहीं होगा जब तक कि उसका एमआरएल एप्रूव नहीं होता, जो एक कमी चली आ रही थी, जो एक भूल चली आ रही थी, उसका सुधार हमने किया ।

जहां तक 181 का सवाल है उसमें 71 के तो हैं लेकिन जैसा मैंने कहा है कि 50 और के भी कर दिये हैं तो ये 121 हो गये । मैंने 27 के बारे में कहा हैकि वे रोडेंटीसाइड हैं उनकी जरूरत ही नहीं है जैसे चूहें मारने की दवा वगैरह होती है केवल 33 बचे हैं, उन 33 पर भी हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही 181 के एमआरएल इन पॉजीशन हो जाएगे । आगे से एक भी एमआरएल रजिस्टर्ड ही नहीं होगा और इनसेक्टीसाइड एक्ट के नीचे आर सी जो है वह एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के नीचे हैं क्योंकि –रजिस्ट्रेशन का काम एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री करती है। इनसैक्टीसाइड एक्ट, 1968 में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है और पीएफए की एडमिनिस्ट्रेटिव हैल्थ मिनिस्ट्री है। लेकिन जो कमी थी, जो भूल थी उसका सुधार कर लिया गया है । मुझे लगता है कि उसकी सराहना होनी चाहिए बजाय पीछे का हम गाना गायें ।....(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 285.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: But, Madam, the Registration Committee is chaired by a high official of the Health Ministry *...(Interruptions)*

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, I just want to put a very short question. It has come out from the discussion that these laws and Acts, which are 30 to 50 years old, are creating more confusion rather than solving the problem. Would the Minister kindly consider coming up with a comprehensive, new Act altogether? Are we following the world standards not only in terms of views, but also in terms of import and manufacture?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, मैंने आपसे कहा है कि आलरेडी यह बात चली हुई हैं कि इंटेडिग्रेटिड फूड लॉ बनाये । लेकिन वह इंटेडिग्रेटिड फूड लॉ कितना कम्प्रेहेंसिव होगा इन सारी चीजों को रिपील करेगो यह इसमें भी कुछ चीज रहेगी, यह मामला अभी अडंर कंसीडरेशन हैं । जब हम एक असल निर्णय पर पहुंच पायेंगे तब हम बता पायेंगे, लेकिन यह सोच चली है कि एक इंटेडिग्रेटिड फूड लॉ की जरूरत देश में हैं।

श्री दिनेश त्रिवेदी : इटरनेशनल स्टैडर्ड के बारे में ।

उपसभापति : उन्होंने अभी बता दिया है । एक-एक वर्ड का जवाब नहीं होता ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, इटरनेशनल स्टैंडर्ड भी अलग-अलग है । कोडेक्स के स्टैंडर्ड अलग हैं, डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड अलग है, ई यू के स्टैडर्ड अलग हैं । हम लोग कौन से इंटरनेशनल स्टैडर्ड की बात कर रहे हैं? लेकिन कोडेक्स कम से कम हर देश को इस बात की

इजाजत और गुंजाइश देता है कि अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप उनको बना लें , कर लें। आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जस का तस नहीं अपना सकते क्योंकि वह परिप्रेक्ष्य देश मे नहीं है। अगर यूरोपियन स्टैडर्ड अपनाते हैं तो क्या उतना हाइजीन, क्या उतनी जानकारी, क्या उतनी आवेयरनेस, देश में हैं? इसलिए जब हम इंटरनेशनल कहते हैं तो कोई इंटरनेशनल स्टैडर्ड एक अकेला नहीं हैं, ई.यू. के स्टैडर्ड अलग हैं, डब्ल्यू.एच.ओ. के स्टैडर्ड अलग हैं, कोडेक्स के स्टैंडर्ड अलग हैं। अपने देश के परिप्रेक्ष्य में ही स्टैंडर्ड बनने चाहिए और अपने देश की जनता को सामने रखना है।

श्री राजीव शुक्ल : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने ई.यू. स्टैडर्ड की बात की, क्या दोहरे मानदड इसमें अपनाये जा रहे हैं? यह तर्क दिया जा रहा है कि पानी और शुगर के जरिए ज्यादातर पेस्टीसाइड कोल्ड ड्रिंक्स में आते हैं, यह तर्क कितना सही है? यदि सही है तो यूरो स्टैंडर्ड में जो बीट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है उसमें 0.75 पेस्टीसाइड अलाउड है जबकि हमारे यहां वह केनशुगर पर 0.5 परसेंट पेस्टीसाइड को भी अलाउ करने को तैयार नहीं है, क्या इस तरह की बात सही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, जहां तक दोहरे मानदंड का सवाल है, दोहरे मानदंड नहीं है, जो पानी और शुगर की आप बात कर रहे हैं। देखिए – पानी अपने आप में ऐसा है जहा मिनिमम रेजीडयु लिमिट इवन आप ई.यू. स्टैंडर्ड को भी ला सकते हैं। क्योंकि वहा पर रिवर्स ओसमॉसिस करके पानी बनाया जाता है। उसमें और कोई नहीं, नीचे से आपने ग्राउंड वाटर लिया, रिवर्स ओसमासिस करके आपने पूरे के पूरे पानी को शुद्ध किया। तो इवन ई.यू. का एमआरएल आप ला सकते हैं जबकि शुगर में बीटरूट का शुगर बना हुआ और शुगरकेन का शुगर बना हुआ और शुगरकेन का शुगर बना हुआ दोनों अलग-अलग हैं। हमारे यहां शुगरकेन में हमें यहा की चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे शुगरकेन के थ्रू कितना पेस्टीसाइड एमआरएल में आ सकता है। बाहर वाले हम पर यह लादें कि हम बीटरूट वाली शुगर लें और शुगरकेन वाली शुगर न लें तो फिर, दिनेश जी के बारे में जो मैंने बताया, हमारे देश का पूरा गन्ना उत्पादक खत्म हो जाएगा। इसलिए यह देखना पड़ेगा। पानी में वह चीज चल सकती है। पानी बिल्कुल अलग है। पानी अगर आप 12 रूपए की एक बोतल लेकर पीते हैं या 15 रूपए की एक बोतल लेकर पीते हैं तो आप यह ऐक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यानी ई.यू. स्टैंडर्ड का पानी मिलना चाहिए क्योंकि आप उसको करने के लिए सक्षम है। अगर आपका प्लांट महंगा भी लगता है तो भी 15 रूपए में बोतल लेकर आप पी रहे हैं। लेकिन जहां तक फ्रूट बीव्रेजिज का सवाल है, जहां तक चीनी का सवाल है, जैसा आपने भी कहा, बीटरूट वाला शुगर का स्टैंडर्ड शुगरकेन के स्टैडर्ड में नहीं हो सकता। हम पर क्यों बीटरूट वाला मानदंड लादा जाए ? पानी अलग है, बाकी सारी चीजें अलग है। इन दोनों चीजों को देखकर देश के परिप्रेक्ष्य में हमें स्टैडड्र्स तय करने चाहिए।